न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 41/2010

वादीगण :–

1. कैलाश पुत्र बालुराम

2. ओमप्रकाश पुत्र बालुराम

3. महेन्द्र पुत्र बालुराम

4. प्रेस्ता पुत्री बालुराम

5 चौथूडी पत्नी बालुराम

जातियान जाट, निवासीगण जोरावरपुरा की ढाणी, सरहद मेड़ता तहसील मेड़ता जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राधेश्याम पुत्र नेमीचंद

2. रामदेव पुत्र नेमीचंद

3. रामेश्वरी बेवा नेमीचंद

जाति ब्राह्मण(सिखवाल), निवासी सिखवालों का मौहल्ला, मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर

4. व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मेड़ता।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता।

6. मंगलाराम पुत्र शंकरराम जाति जाट निवासी डांगावास

7. भरतसिंह पुत्र अजीतसिंह जाति राजपुत निवासी मेड़तासिटी

8. रामदयाल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी डांगावास

दावा इस्तकरार हक बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 6.10.2017

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादीगण ने दावा इस्तकरार हक बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन है किया कि मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 2754 रकबा 9.13 बीघा, खसरा नम्बर 2755 रकबा 4.19 बीघा कुल रकबा 14.12 बीघा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बंट की काश्त कब्जासुद की है बाकी 1/2 हिस्सा आशु उर्फ आशाराम पुत्र गणेश जाति साद निवासी मेड़ता हाल पादूकलां की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद की है। आशाराम ने अपने हिस्से 1/2 की सम्पूर्ण जमीन दिनांक 22.12.1978 को वादी संख्या 1 से 4 के स्व. पिता जो वादी संख्या 5 के पति बालुराम पुत्र पुनाराम को 3,500/– रूपयें में बैचान कर उपपंजीयक कार्यालय मेड़ता में पंजीयन करवाया व कब्जा सुपुर्द किया। तब से पहले स्व. बालुराम का व उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण का काश्त कब्जा चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख में तो खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व स्व. आशाराम के नाम शामिल चली आ रही थी मगर मौके पर कब्जा अलग–अलग बंट कर रखे थे। दक्षिणी तरफ आशाराम के बंट की जमीन, उत्तर की तरफ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की काश्त व कब्जासुद थी। खरीदने के बाद वादीगण दक्षिण वाली रकबा 7 बीघा 6 विश्वा की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। स्व. बालुराम ने खरीदी गई जमीन नामान्तर भरवाने बाबत बैचाननामा की नकल पटवारी हल्का मेड़ता को दी पटवारी ने नियमानुसार नामान्तर भरकर आर.आई. मेड़ता के समक्ष पेश किया। मगर आर.आई. ने बदनियति से स्व. बालुराम वादीगण से बाले–बाले खरीदी गई जमीन पर मौके पर बालुराम का कब्जा न होने की गलत रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इस न्यायालय में आशुराम पुत्र गणेशदास व वादी के स्व. पिता व पति के विरूद्ध धारा 88, 188 का राजस्व वाद किया। उस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 1/79 अन्तर्गत धारा 212 पेश किया। जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.10.1982 को वादग्रस्त 1/2 हिस्से की जमीन पहले आशाराम की काश्त व कब्जासुद

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदारी का होना बताया। आशाराम द्वारा बैचान के बाद वादीगण के पिता व पति की खातेदारी की व काश्त व कब्जासुद होना मानकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा प्रार्थना पत्र 1/79 निर्णय दिनांक 07.10.1982 के बाद पूर्व में भरे गये नामान्तरकरण में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के फैसले दिनांक 07.10.1982 में बालुराम का कब्जा माना है। अतः नामान्तरकरण स्वीकार किया जाता है लिखकर दिनांक 03.01.1983 को नामान्तर स्वीकार किया और राजस्व अभिलेख में आशुराम पुत्र गणेशराम का 1/2 हिस्सा की जगह वादीगण के स्व. पिता व पति बालुराम के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व अन्य के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी चला। तब प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 07.06.1979 को इकरारनामा वादी के स्व. पिता व पति के हक में तकमील कर जाहिर किया कि खसरा नम्बर 2754 व 2755 कुल रकबा 14.12 बीघा में दक्षिण की तरफ 1/2 हिस्सा रकबा 7.06 बीघा उनकी है और उनका(स्व. बालुराम का) ही काश्त व कब्जा है। इसके पश्चात कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कार्यवाही कर प्रकरण बाद सहायक कलेक्टर डेगाना के यहां ट्रांसफर करवा लिया जो डेगाना में 31/93 दर्ज रजिस्टर हुआ। डेगाना में फिर प्रतिवादीगण ने वादीगण के 1/2 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त करवाने का मुकदमा 15/93 पेश किया। जो दिनांक 29.09.1997 को खारिज हुआ। वाद शहादत में चल रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने किसी के बयान नही करवाये तथा प्रतिवादीगण के वकील ने नो इन्ट्रेक्शन प्लीड किया जिससे दावा खारिज हुआ। इसके बावजूद प्रतिवादी 2 ने वादीगण के स्व. पिता आशुदास पुत्र गणेशदास व अपने भाई राधेश्याम व तहसीलदार मेड़ता को पक्षकार बनाकर जिला कलक्टर नागौर के यहां न्यायालय आदेश दिनांक 07.10.1982 को भरे नामान्तरकरण का कोई भी औचित्य न मानकर प्रतिवादी संख्या 2 की अपील स्वीकार की तथा पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 1180 को खारिज कर देने से पुनः भरे गये नामान्तरकरण्रा संख्या 1296 को निरस्त

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

करने का आदेश दिया। जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर में 27/92 एल.आर./नागौर पेश की उन्होने दिनांक 28.04.1997 को तकनीकी बिन्दु पर खारिज की फिर वादीगण के स्व. पिता व पति ने राजस्व मण्डल अजमेर में इस आदेश के विरूद्ध निगरानी 163/97 एल.आर. नागौर पेश की जिसे मण्डल द्वारा दिनांक 17.09.2004 को खारिज कर दिया। जिस पर वादीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटीशन 69/42/08 पेश की जो चल रही है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि अर्जीदावा के पैरा संख्या 15 के अनुसार दावा डिक्री किया जावें। वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में जमाबंदी ग्राम मेड़ता सम्वत् 2053–56 खाता संख्या 1058, बैचाननामा, दावे व निर्णय की प्रतियां, रिट की प्रतियां पेश की।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सी.पी. सी. का पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को बैचान करने से उन्हे पक्षकार से हटाकर प्रतिवादी संख्या 6 से 8 मंगलाराम, भरतसिंह, रामदयाल को बनाने का निवेदन किया जो स्वीकार किया गया तथा इन्हे पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध दिनांक 23.08.2010 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र जैन ने वकालतनामा पेश किया परन्तु आज दिनांक तक जवाब पेश नही किया तथा न ही आज उपस्थित हुए। इसलिये उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि चुंकि पक्षकारान रेकोर्डेड खातेदार है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा भी कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 2861 रकबा 1.14 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2880 रकबा 0.09 हैक्टेयर मे से रकबा 0.04 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर जमीन प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 की खातेदारी की व काश्त व कब्जासुद है तथा खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.93 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2879 रकबा 0.20 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2880 रकबा 0.09 हैक्टेयर मे से रकबा 0.05 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर जमीन वादीगण की खरीदसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड मे अंकन किया जावे। बटवाडे की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड मे तहसीलदार मेड़ता नियमानुसार अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6-10-2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मेड़ता
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner